अध्याय–पंचम

शोध निष्कर्ष सारांश

अध्याय–5

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 भूमिका :–

किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहाँ की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है। चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो शिक्षा को उद्देश्य परक और उपयोगी बनाने के लिए उसमें समया अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ज्ञानार्जन में भाषा का महत्व सर्वोपरि है। वह अपने आप में अध्ययन का स्वतंत्र विषय तो है ही उसके साथ–साथ समस्त ज्ञान का वहन करने वाली ज्ञान गंगा भी है। प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए भाषा तो जिस बहुभाषिकता का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें स्थानीय क्षेत्रीय विद्यालयीन एवं अखिल भारतीय संस्कृति की शब्द संपदा सम्मिलित है। संविधान के अनुसार बालक एवं बालिकाएँ राष्ट्रोत्थान में अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सके इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6–14 के सभी बालक एवं बालिका को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

स्वतंत्रता के बाद से आज तक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शासन के लोकव्यापीकरण कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये है और लोक व्यापीकरण का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य प्रणाली की बागडोर ऊँचे कदम पर बढ़ती जा रही है। शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन भाषा ही है। भाषा के बिना हम शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते है। देश में भाषा का बृहत रूप में उपयोग होने के उपरांत भी विद्यार्थी हिन्दी भाषा की व्यवसायिक दक्षता को हासिल नहीं कर पाते है वे न केवल विद्यालयीन स्तर पर अपितु विश्वविद्यालयीन स्तर में आने के उपरांत कई व्यवहारिक रूप में कमियों के नतीजे को ही दर्शाता है। भाषा व्यक्ति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है।

लोग अपने विचारों को बडे ही प्रभाव पूर्ण तरीके से बोलकर एवं लिखकर व्यक्त करते है। वहीं दूसरी और ऐसे भी लोग है जो बहुत सारी सूचनाओं के होते हुए भी भाषा में रूचि एवं योग्यता के अभाव के कारण उन्हें कुशलतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते है। बच्चे की भाषा योग्यता उनकी रूचि पर निर्भर करती है। यदि बच्चे को उसकी मातृभाषा में रूचि होगी तो उनकी योग्यता में जरूर बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भाषा योग्यता को विकसित करने के लिए रूचि एक गुरू चावी का काम करती है। इसलिए भाषा योग्यता एवं रूचि एक दूसरे के साथ कैसे संबंधित है ये जानना बहुत जरूरी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर अध्ययनकर्ता ने अध्ययन हेतु इस समस्या का चयन किया।

5.2 शोध कार्य का शैक्षिक महत्वः-

इस अध्ययन से भाषा शिक्षण एवं अध्ययन क्षेत्र में सहायता मिल सकती है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की साहित्यिक रूचि एवं उनके ज्ञान के अनुसार उन्हें भाषा की योग्यता में कुशल किया जा सकता है। और व्यवसायिक दक्षता से परिचित कराया जा सकता है। अध्ययन के निम्नलिखित शैक्षिक महत्व देखने को मिलते है।

- पठन, लेखन, व्याकरण, अनुवाद तथा सहगामी क्रियाओं संबंधित साहित्यिक एवं भाषाई रूचियों में विद्यार्थियों का अत्यधिक रूझान प्राप्त हुआ जिसको शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने पर विद्यार्थियों में योग्यता भी बढ़ाया जा सकता है।
- गुजराती भाषा से हिंदी भाषा के समान्तर अनुवाद करने में भी विद्यार्थियों की अधिक रूचि पाई गई जिसको शिक्षक प्रारंभिक स्तर पर ही प्रोत्साहित कर अनुवादकला में विद्यार्थियों को निपुण किया जा सकता है।
- अपठित गद्यांशों को भी हल करना विद्यार्थियों को रूचिकर लगता है अतः प्रश्नपत्र में इससे संबंधित अधिकाधिक भाषाई प्रश्न दिये जाने

चाहिए ताकि भाषा में रूचि उत्पन्न हो और योग्यता को बढ़ाया जा सकता है।

- विद्यार्थियों की पुस्तकालय के प्रति भी अधिकतर रूचि पाई गई अतः विद्यालयों में पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था तथा उनके सुनियोजित उपयोग की और भी ध्यान दिया जाने पर विद्यार्थी साहित्य एवं भाषा में रूचि रखे ताकि उनकी योग्यता में सुधार आयें।
- शिक्षक द्वारा साहित्य रूचि एवं योग्यता से संबंधित ज्ञान के क्षेत्रों को अलग-अलग शिक्षण देकर विकसित किया जाना चाहिए।
- इस अध्ययन का एक महत्व यह भी है कि विद्यार्थियों को भाषा के प्रति रूचि उत्पन्न हो ताकि यह अपनी तरक्की कर सके।

5.3 समस्या कथनः-

''कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा में रूचि एवं योग्यता का अध्ययन''

5.4 शोध में प्रयुक्त चर :-

जिस गुण विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना शोध कर्ता का उद्देश्य होता है उसे चर कहेंगे प्रस्तुत अनुसंधान में स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अंतर्गत प्रयोग हुआ है।

स्वतंत्र चर :- भाषामें रूचि

आश्रित चर- भाषामें योग्यता

उपचर : लिंगगत : बालक, बालिकाऐं,

स्कूल प्रकार : शासकीय, अशासकीय

5.5 अध्ययन के उद्देश्य :-

किसी भी शोध कार्य करने के पीछे उनके कोई न कोई उद्देश्य जरूर होते है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

- कक्षा आठवी के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में रूचि एवं योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा में योग्यता का अध्ययन करना।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.6 अध्ययन की परिकल्पना :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाए ली गयी है।

- कक्षा आठवीं के छात्रों तथा छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि एवं योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के प्रति रूचि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

- शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5.7 प्रतिदर्श चयनः-

शोध कार्य में परिकल्पनाओं को तार्किक आधार प्रदान करने के लिए प्रतिदर्श के रूप में 200 विद्यार्थी लिये गये। जिनका विवरण हमने उपरोक्त रेखाचित्र में देखा। प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त चर निम्नलिखित है-

स्वतंत्र चर :-भाषामें रूचि

आश्रित चर :- भाषा योग्यता

उपचर (1) लिंगगत : बालक, बालिकायें

(2) स्कूल प्रकार : शासकीय, अशासकीय

(3) अवस्थिति : ग्रामीण, शहरी

5.8 शोध अध्ययन का सीमांकन

किसी भी कार्य के लिए उस कार्य के आधार पर उनकी सीमाए निश्चित करना आवश्यक होता है। जिनसे कार्य वैधिय एवं विश्वसनीय बन सके। प्रस्तुत शोध कार्य के लिऐ भी सीमाओं का निर्माण किया गया है। जो निम्नस्थ है।

- भौगोलिक दृष्टि से :

  भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला नर्मदा के दो शासकीय एवं दो अशासकीय शालाओं तक सीमित है।

- **वैयक्तिक दृष्टि से :**

  वैयक्तिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत कक्षा आठवी के छात्रों एवं छात्राओं तक सीमित है।

- **शैक्षणिक दृष्टि से :**

  शैक्षिक दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन कक्षा आठवी तक सीमित है।

- **विषयगत दृष्टि से :**

विषयगत दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन हिन्दी विषय तक सीमित रखा गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो शासकीय तथा दो अशासकीय शालाओं के 200 विद्यार्थी तक सीमित है।

5.9 सुझाव

1. विद्यार्थियों के लिए सुझाव

(1) शाला में दिया हुआ गृहकार्य नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हिन्दी भाषा में रूचि एवं योग्यता का विकास हो सके।

(2) हिंदी भाषा में कविता गान एवं गद्य पठन करना चाहिए।

(3) विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में हिस्सा लेना चाहिए।

(4) नियमित रूप से हिंदी पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए।

(5) क्लास रूम में हिंदी में ही व्यवहार करना चाहिए।

2. शिक्षकों के लिए सुझाव

(1) छात्रों को पठन एवं मान संबंधी गृहकार्य देना चाहिए ताकि भाषा में रूचि ले सके।

(2) भाषा संबंधी खेलों का आयोजन करना चाहिए जैसे शब्द निर्माण, अत्याक्षरी, समस्या समाधान आदि से विद्यार्थियों की रूचि एवं योग्यता का विकास हो सके।

(3) कक्षा स्तर पर हिंदी भाषा के व्याकरण एवं शुद्ध लेखन पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(4) भाषाई पाठ्यक्रम को शुरू करने से पूर्व शिक्षकों को पुस्तक के प्राक्कथन में दी गई विषय वस्तु व उद्देश्य से पूर्ण रूपेण परिचित रहना चाहिए।

(5) विद्यार्थियों को भाषा के पठन, लेखन, व्याकरण अनुवाद एवं व्यवहारिक ज्ञान भी देने की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों की रूचि में वृद्धि होगी और वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सके।

(6) प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं हिंदी होना चाहिए।

(7) शिक्षकों को पढ़ाते समय पाठ्यपुस्तकों के विषयवस्तु पर नहीं बल्कि भाषा के कौशलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

(8) अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी राष्ट्र भाषा समिति की विविध परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए।

(9) शिक्षक को बच्चों की हिंदी भाषा योग्यता हेतु बच्चों से हिंदी में संप्रेषण (Communication) करना चाहिए।

3.पालको के लिए सुझाव

(1) घर में बच्चों के साथ् हिन्दी भाषा में व्यवहार करना चाहिये।

(2) बुर्जुगों द्वारा हिन्दी में कहानियाँ सुनानी चाहिये।

(3) माता–पिता द्वारा नियमित रूप से गृह कार्य करने का आग्रह करना चाहिये।

(4) घर में हिन्दी पत्र–पत्रिकाऐं मंगवानी चाहिए।

(5) माता–पिता द्वारा बच्चों को हिन्दी भाषा योग्यता परीक्षाओं के लिए प्रात्साहित करना चाहिये।

5.10 भावी शोध हेतु सुझाव

भविष्य में निम्न विषयवस्तु से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किये जा सकते है।

- शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों विद्यार्थियों की भाषा रूचि एवं योग्यता से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन किये जा सकते है।
- अहिंदी भाषा क्षेत्र एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा की रूचि में पाये जाने वाले अंतर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- बडा प्रतिदर्श लेकर इसी कार्य को उच्च स्तर पर किया जा सकता है।
- प्राथमिक शाला के शिक्षकों की भाषा रूचि और योग्यता के बीच संबंध का अध्ययन।
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों और गुजराती माध्यम के विद्यार्थियों की भाषा रूचि एवं योग्यता के बीच संबंध का तुलनात्मक अध्ययन।
- केन्द्रीय विद्यालय तथा प्राइवेट विद्यालय में हिंदी भाषा की योग्यता का अध्ययन करना।